RIGHT TO INFORMATION

CELL

RIICO LTD.
RTI CELL
Room No.-09, Basement
Udyog Bhawan,
Tilak Marg, Jaipur-302005
E-Mail : rti@riico.co.in
Tel No. 0141- 5103735/2227751

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

रजि. एडी

क्रमांक : आरटीआई / जी–7 / 14–15/702
दिनांक : 07 जुलाई, 2015

व0 उप महाप्रबन्धक / व0 क्षेत्रीय प्रबन्धक /
क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको लि0, ...
....
....

विषयः– प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से प्राप्त परिपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ से प्राप्त परिपत्र कमांकः प.7(1)प्रसु / सूअप्र / 2014 जयपुर दिनांक 18.05.2015 जो कार्यालय में उधोग (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 05.06.2015 के साथ प्राप्त हुये है। उक्त परिपत्र आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार पहाडिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
(मुख्यालय) / व0 उप महाप्रबन्धक

संलग्नः उपरोक्तानुसार

791310
21/5/15

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

791310
29/5/15

क्रमांक प. 7(1)प्रसु/सूअप्र/2014 जयपुर, दिनांक 18-5-2015

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुये 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है। इस सन्दर्भ में आपका ध्यान विशेष तौर पर अधिनियम की धारा 4 के निम्न प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है:–

धारा 4(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी– (क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुकमणिकाबद्ध ऐसी रीति ओर रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर (Facilitate) बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुये कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्व है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर (Facilitate) बनाया जा सकें।

JSI
26-5-15

धारा 4(1)(ख) के अनुसार अधिनियम से एक सौ बीस दिन के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण 17 बिन्दुओं की सूचना प्रकाशित करेगा (वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा) तथा इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन रखेंगे।

अधिनियम के उक्त महत्वपूर्ण प्रावधान की पालना अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा या तो की ही नहीं गई है यदि की है तो वह पूर्णतया नहीं है अथवा अद्यतन नहीं है जबकि इसकी पूर्ण पालना कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर आदेश/परिपत्र जारी कर सभी लोक प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता रहा है।

अतः अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम/सस्थाओं द्वारा अधिनियम के इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पालना सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश वर्मा)
अति मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान जयपुर।
9. प्रबन्धक, राजकोम, योजना भवन, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट www.ard.rajasthan.gov.in पर प्रकाशनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

Sh. Mukesh
27/5/15

शासन उप सचिव

सूचना
का
अधिकार

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.26 (1) उद्योग/1/2013 जयपुर, दिनांकः

1. आयुक्त, उद्योग, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको लिमिटेड, जयपुर।
4. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर।
6. संयुक्त सलाहकार (वित्त), राजकीय उपक्रम ब्यूरों, जयपुर।

विषय :– प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से प्राप्त परिपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) से प्राप्त परिपत्र क्रमांक : प.7(1)प्रसु/सूअप्र/2014 जयपुर दिनांक 18.05.2015 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

... BAJAD
Advisor (A&M)

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Adv (Adm)

05/6/2015

(घनश्याम शर्मा)
सहायक शासन सचिव